भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1657
01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत इन-सीटू स्लम पुनर्वास (आईएसएसआर)

1657. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत इन-सीटू स्लम पुनर्वास (आईएसएसआर) की शुरुआत से लेकर अब तक की वास्तविक प्रगति का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आईएसएस-वार के लिए इसकी शुरुआत से अब तक आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आईएसएस-वार योजना के अंतर्गत खाली पड़े आवासों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से

क्रियान्वित की जाती है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 22.07.2024 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, निर्माणाधीन आवासों में से 85.04 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 81.67 लाख आवासों में लाभार्थी रह रहे हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर और प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को आबंटन करके यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि पीएमएवाई-यू के एएचपी/आईएसएसआर घटकों के तहत उन आवासों की संख्या बढ़ायी जाए, जिनमें लाभार्थी रहें। एएचपी/आईएसएसआर घटकों के तहत परियोजनाओं की निर्माण अवधि अनुमोदन की तारीख से 12-36 महीने के बीच है। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक आधार पर गहन समीक्षा करता है। तथापि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना, सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए, योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, इसे 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रारंभ से लेकर अब तक तमिलनाडु राज्य में आईएसएसआर सहित पीएमएवाई-यू के सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों तथा स्वीकृत एवं जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसके अलावा, शुरुआत से लेकर अब तक तमिलनाडु सहित पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर घटक के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूरे किए गए और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके आवासों का राज्यवार ब्यौरा तथा स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक II में दिया गया है।

*****

दिनांक 01.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1657 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

प्रारंभ से लेकर अब तक तमिलनाडु राज्य में आईएसएसआर सहित पीएमएवाई-यू के सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों तथा स्वीकृत एवं जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की वास्तविक प्रगति (संख्या)				केंद्रीय सहायता के संबंध में वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण	लाभार्थियों को सौंपे जा चुके	अनुमोदित	जारी
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	19,90,937	9,73,837	8,75,913	32,568.27	23,800.26
2		बिहार	3,14,477	3,05,811	1,47,979	1,47,979	4,950.45	3,368.00
3		छत्तीसगढ़	3,02,663	2,89,128	2,38,894	2,16,655	4,810.98	4,088.81
4		गोवा	3,146	3,146	3,145	3,145	74.76	75.04
5		गुजरात	10,05,204	9,83,778	9,18,185	8,74,699	21,064.34	19,805.76
6		हरियाणा	1,15,034	93,153	68,114	68,114	2,171.64	1,673.50
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	12,668	10,705	10,653	215.95	202.02
8		झारखंड	2,29,156	2,13,534	1,42,810	1,39,893	3,603.31	2,987.87
9		कर्नाटक	6,38,121	5,73,160	3,69,449	2,97,655	10,614.43	7,168.29
10		केरल	1,67,322	1,47,721	1,23,453	1,23,352	2,781.18	2,293.45
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	9,49,265	8,01,068	7,89,875	15,930.45	15,284.69
12		महाराष्ट्र	13,64,923	11,16,949	8,55,339	7,86,399	25,548.21	19,323.37
13		ओडिशा	2,03,380	1,80,647	1,47,148	1,43,608	3,176.98	2,479.75
14		पंजाब	1,32,235	1,16,264	83,894	83,842	2,342.54	1,825.79
15		राजस्थान	3,19,863	2,64,357	1,91,971	1,84,966	5,891.46	4,693.97

16		तमिलनाडु	6,80,347	6,63,430	5,70,294	5,16,225	11,185.30	10,135.67
17		तेलंगाना	2,50,084	2,44,219	2,24,659	1,64,862	4,475.66	3,718.27
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	17,33,051	15,47,101	15,18,668	27,962.68	26,065.17
19		उत्तराखंड	64,391	60,160	34,504	33,560	1,176.51	940.86
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	6,12,998	4,00,257	4,00,161	10,773.50	7,675.93
उप-योग (राज्य)			**1,13,47,055**	**1,05,54,376**	**78,52,806**	**73,80,224**	**1,91,318.59**	**1,57,606.50**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,070	7,753	6,217	182.38	161.18
22		असम	1,76,643	1,60,473	1,02,712	1,02,712	2,674.26	2,065.73
23		मणिपुर	56,037	48,657	14,699	14,699	841.39	471.91
24		मेघालय	4,758	3,793	1,632	1,632	72.35	43.31
25		मिजोरम	39,605	39,215	11,069	11,069	607.8	447.22
26		नागालैंड	31,860	31,841	22,850	22,818	503.91	393.41
27		सिक्किम	316	316	202	202	6.13	7.09
28		त्रिपुरा	92,854	84,751	74,049	74,049	1,494.35	1,273.47
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य)			**4,10,572**	**3,77,116**	**2,34,966**	**2,33,398**	**6,382.57**	**4,863.31**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	376	47	47	5.84	2.93
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256	1,256	28.78	28.78
31		दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	9,947	9,947	9,230	7,992	214.4	200.27
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976	29,976	692.53	692.53

33		जम्मू और कश्मीर	47,040	42,894	24,244	24,244	724.94	483.48
34		लद्दाख	1,307	1,014	843	843	30.22	24.05
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	15,271	9,994	9,994	254.12	223.19
उप-योग (यू.टी.)			**1,05,897**	**1,00,734**	**75,590**	**74,352**	**1,950.84**	**1,655.23**
कुल योग			**118.64 लाख**	**114.33 लाख***	**85.04 लाख***	**81.67 लाख***	**2.00 लाख करोड़**	**1.64 लाख करोड़.**

** इसमें मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के निर्माणाधीन (4.01 लाख)/पूर्ण हो चुके (3.41 लाख)/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके (4.80 लाख) आवास शामिल हैं।*

दिनांक 01.08.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1657 के उत्तर मे उल्लिखित अनुलग्नक II

प्रारंभ से लेकर अब तक तमिलनाडु राज्य सहित पीएमएवाई-यू के आईएसएसआर घटक के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके आवासों तथा स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा ।

क्र.सं		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की वास्तविक प्रगति (संख्या)				केंद्रीय सहायता के संबंध में वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण	लाभार्थियों को सौंपे गए	स्वीकृत	जारी
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	1,617	1,617	212	82	41.26	32.87
2		बिहार	6,502	6,502	5,465	5,465	179.43	161.70
3		छत्तीसगढ़	300	300	300	300	6.09	13.54
4		गोवा	-	-	-	-	-	-
5		गुजरात	61,794	54,194	34,965	30,701	725.80	373.05
6		हरियाणा	2,452	2,085	1,802	1,802	153.26	119.28
7		हिमाचल प्रदेश	64	64	64	12	5.89	9.21
8		झारखंड	2,986	2,986	2,846	2,762	73.78	73.40
9		कर्नाटक	22,203	22,203	20,980	19,443	611.04	540.35
10		केरल	1,183	1,183	731	731	35.84	37.43
11		मध्य प्रदेश	7,562	7,562	6,940	6,297	214.55	183.92
12		महाराष्ट्र	1,44,820	85,660	52,538	11,225	1,448.20	-
13		ओडिशा	8,897	8,497	5,976	3,810	183.88	170.88
14		पंजाब	1,025	-	-	-	10.25	7.88
15		राजस्थान	14,492	14,492	12,921	12,149	239.48	225.14
16		तमिलनाडु	4,763	4,763	4,763	4,763	132.14	123.70
17		तेलंगाना	256	256	256	256	4.75	62.38
18		उत्तर प्रदेश	5,490	5,490	5,439	5,375	190.67	172.07
19		उत्तराखंड	2,536	2,536	2,270	2,270	104.30	107.48
20		पश्चिम बंगाल	442	442	192	192	14.08	11.58

उप-योग (राज्य):-			**2,89,384**	**2,20,832**	**1,58,660**	**1,07,635**	**4,374.69**	**2,425.86**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	1,536	1,536	1,536	-	77.39	77.39
22		असम	108	64	-	-	1.08	-
23		मणिपुर	-	-	-	-	-	-
24		मेघालय	-	-	-	-	-	-
25		मिजोरम	142	142	142	142	9.49	9.30
26		नागालैंड	1,054	1,054	702	670	41.68	41.67
27		सिक्किम	-	-	-	-	-	-
28		त्रिपुरा	3,005	3,005	1,929	1,929	77.92	59.94
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य) :-			**5,845**	**5,801**	**4,309**	**2,741**	**207.56**	**188.30**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
30		चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
31		दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
32		दिल्ली	-	-	-	-	-	-
33		जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-
34		लद्दाख	369	77	62	62	15.98	11.56
35		लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36		पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र):-			**369**	**77**	**62**	**62**	**15.98**	**11.56**
कुल योग:-			**2,95,598**	**2,26,710**	**1,63,031**	**1,10,438**	**4,598.23**	**2,625.72**